न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) वल्लभनगर जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : शैलेश सुराणा, RAS.

पत्रावली संख्या : 39/19 (विविध प्रार्थना पत्र)

1. श्री सवा पिता श्री भेरा मीणा निवासी खेरोदा तहसील वल्लभनगर हाल तहसील भीण्डर जिला उदयपुर (राज0)।

................प्रार्थी

बनाम

1. श्री जगन्नाथ पिता श्री गोकल मीणा निवासी खेरोदा तहसील वल्लभनगर हाल तहसील भीण्डर जिला उदयपुर (राज0)।
2. मु.अमरीबाई पत्नी श्री गोकल मीणा निवासी खेरोदा तहसील वल्लभनगर हाल तहसील भीण्डर जिला उदयपुर (राज0)।
3. श्री राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार वल्लभनगर हाल तहसीलदार भीण्डर जिला उदयपुर (राज0)।

................विपक्षीगण

उपस्थित :– 1. श्री मुकेश डांगी , अधिवक्ता प्रार्थी।

2. श्री नारायण लाल जाट , अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 व 2 ।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम

निर्णय

दिनांक : 17.12.2019

1. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया कि ग्राम खेरोदा पटवार हल्का खेरोदा भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र खेरोदा तहसील वल्लभनगर हाल तहसील भीण्डर जिला उदयपुर (राज0) में प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं आधिपत्य की आराजी नम्बर 1894/2 रकबा 08 बिस्वा, 1898/1 रकबा 04 बिस्वा, 1896/2 रकबा 06 बिस्वा, 1897/1 रकबा 03 बिस्वा, 1899/2 रकबा 08 बिस्वा, 1900/2 रकबा 02 बिस्वा कुल किता 6 रकबा 01 बीघा 11 बिस्वा, लगानी 1.

24 रूपया भूमि स्थित है। उक्त वर्णित भूमि का प्रार्थी ही एक मात्र खातेदार काश्तकार होकर आधिपत्यधारी है तथा प्रार्थी के अलावा इस भूमि पर किसी अन्य का किसी भी प्रकार से कोई हक, हिस्सा, अधिकार, आधिपत्य, स्वत्व इत्यादि नहीं है।

2. उक्त वर्णित भूमि का प्रार्थी सीमांकन करा कर पत्थरगड़ी करवाना चाहता है, जिससे भविष्य में कोई भी सीमा संबंधी विवाद पैदा नहीं हो एवं प्रार्थी आसानी से अपनी भूमि का विकास कर सके।

3. बिनाय प्रार्थना पत्र दिनांक 23.03.2017 को पैदा हआ, जब विपक्षीगण ने प्रार्थी को अपनी आराजीयात का सीमांकन करा कर पत्थरगड़ी कराने हेतु कानूनी कार्यवाही की बात कही।

4. अंत में निवेदन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें एवं प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं आधिपत्य की आराजीयात का नियमानुसार सीमांकन कर पत्थरगड़ी कराई जाने का आदेश फरमाया जावें।

5. प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ दस्तावेजात नक्शा ट्रेस प्रतिलिपि एवं नकल जमाबन्दी सम्वत 2050 से 2053 पेश की गई है ।

6. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर कार्यवाही प्रारम्भ की गई । विपक्षीगण को जरिये नोटिसेज तलब किया गया । अधिवक्ता विपक्षीगण संख्या 1 व 2 द्वारा दिनांक 22.10.2019 को पत्थरगड़ी करने मे कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया। विपक्षी संख्या 3 तहसीलदार वल्लभनगर हाल तहसीलदार भीण्डर औपचारिक आवश्यक पक्षकार होने से जवाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं करना चाहा।

7. विद्वान अधिवक्ता पक्षकारान की बहस को समायत किया तथा दस्तावेजात का अवलोकन किया, जिससे हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि ग्राम खेरोदा, पटवार हल्का खेरोदा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र खेरोदा, तहसील वल्लभनगर, हाल तहसील भीण्डर, जिला उदयपुर (राज0) में नकल जमाबंदी 2050 से 2053 के अनुसार आराजी नम्बर 1894/2 रकबा 08 बिस्वा, 1898/1 रकबा 04 बिस्वा, 1896/2 रकबा 06 बिस्वा, 1897/1 रकबा 03 बिस्वा, 1899/2 रकबा 08 बिस्वा, 1900/2 रकबा 02 बिस्वा कुल किता 6 रकबा 01 बीघा 11 बिस्वा भूमि प्रार्थी के एकल खातेदारी अधिकार एवं आधिपत्य की है। प्रार्थी स्वयं खातेदार काश्तकार है इसलिये प्रार्थी को अपनी उक्त

वर्णित खातेदारी आराजियात की पत्थरगड़ी कराने का पूर्ण अधिकार है । अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है ।

8. अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाकर पत्थरगड़ी कराने बाबत 1000/–रूपये शुल्क पर तहसीलदार भीण्डर को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि ग्राम खेरोदा, पटवार हल्का खेरोदा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र खेरोदा, तहसील वल्लभनगर, हाल तहसील भीण्डर, जिला उदयपुर (राज0) में नकल जमाबंदी 2050 से 2053 के अनुसार आराजी नम्बर 1894/2 रकबा 08 बिस्वा, 1898/1 रकबा 04 बिस्वा, 1896/2 रकबा 06 बिस्वा, 1897/1 रकबा 03 बिस्वा, 1899/2 रकबा 08 बिस्वा, 1900/2 रकबा 02 बिस्वा कुल किता 6 रकबा 01 बीघा 11 बिस्वा भूमि के चारों दिशाओं का पुख्ता सीमांकन किया जाकर पत्थरगड़ी प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 1 व 2 की उपस्थिति में करवायी जावे । फीस कमिश्नर प्रार्थी मौके पर अदा करें ।

9. तहसीलदार भीण्डर को लिखा जावे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।

10. निर्णय सरे ईजलास में सुनाया गया ।

(शैलेश सुराणा) R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) वल्लभनगर
जिला उदयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shailesh Surana
Date: 2019.12.27 22:34:48 IST
Reason: SelfAttested
Location: